

प्रपत्र-2.1

परियोजना का नाम:—मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 78/2021 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र लालकुआ में केन्द्रीय तराई वन प्रभाग के हल्दूचौड़ में एन0एच0 87 व रेल पटरी के मध्य एक वीधा जमीन पर क्रियाशाला संस्कार स्थल का निर्माण कार्य।

भाग-II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....

7. परियोजना/स्कीम का स्थान—

तराई केन्द्रीय वन प्रभाग के हल्द्वानी राजि के अन्तर्गत हल्दूचौड़ डी-क्लास वन ब्लाक में प्रस्तावित है।

i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र

उत्तराखण्ड।

ii) जिला

नैनीताल।

iii) वन प्रभाग

तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रुद्रपुर।

iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन

0.063 है0

भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

v) वन की कानूनी स्थिति

आरक्षित वन क्षेत्र।

vi) हरियाली का घनत्व

संलग्न।

vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0 -8 मी0 पर परिगणना भी संलग्न किए जाए।

viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।

संलग्न।

ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी

x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबन्धित की जाए)

नहीं।

xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है। यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।

नहीं।

xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो।

नहीं।

8-प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।

संलग्न।

9-क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।

नहीं।

10-प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा:-

- i. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस- पास के वन क्षेत्रों से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार। संलग्न।
- ii. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस- पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। संलग्न।
- iii. रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि। संलग्न।
- iv प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय। संलग्न।
- v प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)। संलग्न।
- 11-जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)

12- प्रभाग/जिला प्रोफाइल जिला का भौगोलिक क्षेत्र।

- i. जिला का वन क्षेत्र।
- ii. मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।
- iii. 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण
- (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि
- (ख) वनेत्तर भूमि पर वर्ष 2017-18 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति
- (क) वन भूमि पर
- (ख) वनेत्तर भूमि पर

13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।

दिनांक 18/6/2022
स्थान Haldwani

जिला 3422 वर्ग कि. मी.
प्रभाग का वन क्षेत्र 22719.63 है।
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग के अन्तर्गत
जन्मद नैनीताल में 3 मामलों में
9.623 है।
रिक्त

18.29 है. + 2.5 री. कि. मी.
240.42 है. प्रतिपूरक वनीकरण
उत्पन्न वन प्रभागों द्वारा किया गया है,
(प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रेषित)

हस्ताक्षर
नाम
सरकारी मोहर

प्रभागीय वनाधिकारी
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग
रुद्रपुर, उधमसिंह नगर